न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का चिताई

बहक श्री सुरेन्द्रसिंह
पुत्र श्री गणपतसिंह
जाति राजपूत नि. ललाणारवुर्द

मुकदमा नं. 07/2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 19/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम ललाणाखुर्द खसरा नम्बर 211 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म गै० मु० बाला (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवारी ललाणाखुर्द (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा तारबन्दी कर मुंग फसल बो कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम ललाणाखुर्द ख.न. 211 रकबा 0.2000 किस्म गै० मु० बाला पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर तारबन्दी कर मुंग फसल बोकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति हैं० का 50 गुणा रूपया 1.00 रु० (रूपये एक रूपया) शास्ति कायम की जाती है। फसल निलामी स्वीकृति - रामदेव S/o बाबुराम जाट सा० ललाणाखुर्द रूपये 211/= निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का चिताई भु. अभिलेख निरीक्षक एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला-नागौर (राज०)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)